बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संоसं0–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) ..../ पटना, दिनांकः–................................

सिविल सर्जन, नालन्दा के पत्रांक–2763 दिनांक–01.10.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि डॉ० अन्नु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ नालन्दा दिनांक–12.04.2023 से कर्त्तव्य पर अनुपस्थित थी। स्वस्थ्य होने के उपरान्त दिनांक–28.09.2024 को सदर अस्पताल, बिहारशरीफ, नालन्दा में योगदान देने हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया। सिविल सर्जन, नालन्दा द्वारा डॉ० अन्नु कुमारी के योगदान संबंधी आवेदन पर मार्गदर्शन की मॉग की गयी है।

2. डॉ० अन्नु कुमारी द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु की गयी अनुरोध के समीक्षोपरांत डॉ० अन्नु कुमारी का योगदान स्वीकार करते हुए उनसे कार्य लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. सिविल सर्जन, नालन्दा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० अन्नु कुमारी को आदेश निर्गत की तिथि से योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण करायी जाये। डॉ० अन्नु कुमारी का योगदान करने की सूचना से अविलंब विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. डॉ० अन्नु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ नालन्दा के विरूद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में विहित प्रपत्र में आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध करायी जाय।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/आ0–01–20/2023(स्वा0) 57(9)/ पटना, दिनांकः– 14.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना प्रमण्डल, पटना/सिविल सर्जन, नालन्दा को निदेशित किया जाता है कि डॉ० अन्नु कुमारी के कर्त्तव्य पर योगदान करने से संबंधित प्रतिवेदन के साथ विहिप प्रपत्र आरोप–पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपिः–डॉ० अन्नु कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, बिहारशरीफ नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14/01/2025

सरकार के अवर सचिव।